न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

पीठासीन अधिकारी :— सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 34 / प्रा.पत्र / 2023

उनवान प्रकरण

सरकार जरिये संजय सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुन्दी (राज.)

— प्रार्थी

बनाम

1. श्री जितेन्द्र जोशी आ0 श्री चन्द्रकान्त जोशी(विक्रेता / नोमिनी), मैसर्स— ऐडवान्टेज ऑयल प्रा0 लि0 एनएच—12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी(राज.), हाल पताः—**A101** , शिवम् एनक्लेब, बजरंग नगर, कोटा। स्थाई पताः— म0स0—122, महादेव तोतला नगर, इन्दौर।
2. कम्पनीः— मैसर्स—ऐडवान्टेज ऑयल प्रा0 लि0 **NH-12** रामगंज बालाजी जिला बून्दी।

— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii)/52
एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :—

प्रार्थी की ओर से :— श्री संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बून्दी
अप्रार्थी की ओर से :— विद्वान अभिभाषक श्री राजकुमार माथुर।

निर्णय दिनांकः 15.04.2025

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र श्री संजय सिंह खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बुन्दी ने अप्रार्थी के विरुद्व अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006 रुल्स 2011 के तहत इस आशय का पेश किया कि आवेदक द्वारा दिनांक 14.12. 2022 को समय दोपहर 04:20 पी.एम. दौराने गश्त चेकिगं हेतु मैसर्स—ऐडवान्टेज ऑयल प्रा0लि0 एनएच—12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी पर पहुँचां। विक्रेता / नोमिनी को अपना परिचय दिया परिचय पत्र दिखाया एवं विक्रेता का परिचय लिया इस पर विक्रेता / मालिक की हैसियत से श्री जितेन्द्र जोशी पुत्र श्री चन्द्रकानता जोशी उपस्थित मिले। आम जनता को रिफाइण्ड सोयाबीन तेल एवं कच्ची घाणी सरसों तेल का निर्माण कर विक्रेय हेतु रखे हुए थे। विक्रेता / नोमिनी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं

3

से खाद्य लाईसेंस/ खाद्य रजिस्ट्रेशन मांगा गया। विक्रेता द्वारा मौके पर खाद्य लाइसेंस संख्या 10015013000886 की छायाप्रति प्रस्तुत की।

2. विक्रेता एवं गवाहो की उपस्थिति में मैसर्स–ऐडवानटेज ऑयल प्रा0 लि0 एनएच–12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी के परिसर का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय बाबत् अन्य खाद्य सामग्री के साथ खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल **(Brand-Carnival Fresh)** 500 मि.ली. मूल बोतल पैक के 500 बोतलें पैक रखे हुये थी। एक बोतल को ध्यान से देखने पर **Brand-Carnival Fresh, Kachi ghani Mustard Oil, Batch No. ABM-091222 MRP-162/- Net Wot-500 ml., Green Symbol-present, BEST BEFORE 9 MONTH FROM PKG. Mfg and pkd and pkd by- Advantage Oils Pvt. NH-12, p.o. Ramganj Balaji, Dest. Bundi** इत्यादि अकिंत था। उक्त वर्णित खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल **Brand-Carnival Fresh** 500 मि.ली. मूल बोतल पैक में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर एफएसएस एक्त 2006 के तहत उल्लेखित प्रावधानों के अंतर्गत खाद्य नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना मौके पर विक्रेता को फार्म नं. 5ए में दी एवं रसीद प्राप्त की। परिसर में रखे खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल **Brand-Carnival Fresh** 500 मि.ली. मूल बोतल पैक 500 बोतलो में से बैंच ABM-091222 की 500–500 एम एल की चार बोतले मूल पैक वास्ते जॉच हेतु एफएसएसए एक्ट 2006 के तहत खरीदे एवं इस बाबत् 288/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता,गवाह एवं मेरे हस्ताक्षर है। खरीदशुदा खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल **Brand-Carnival Fresh** 500 मि.ली. मूल बोतल पैक के वास्ते अलग–अलग नियमानुसार लेबल तैयार कर विक्रेता, गवाहन व स्वंय के हस्ताक्षर कर प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाये। प्रत्येक नमूना भाग को अलग–अलग मोटे खाकी कागज में लपेट कर दोनों किनारों को गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग पर लेबल चिपकाया गया। प्रत्येक भाग पर श्रीमान अभिहित अधिकारी डॉ. ओम प्रकाश सामर के हस्ताक्षर युक्त पेपर स्लीप कोड कम संख्या यू–2136 को नियमानुसार उपर से लेकर नीचे व नीचे से लेकर उपर तक अच्छी तरह गोंद से चिपकाकर मोटे मजबूत धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भागों पर नमूने का विवरण अंकित कर मैनें व गवाहों ने हस्ताक्षर किये। चारों सील्ड नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। मौका फर्द तैयार कर पढकर, पढाकर, समझाकर, होशोहवास में हस्ताक्षर करने को कहा गया जिसे सभी ने सत्य मानकर हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना भागो को सील चपडी किया था उसका मोनोग्राम विक्रेता मालिक के लिए गये नमूने के 4 पार्ट की जांच एंक्रीक्टेड लेब में करवाने की सूचना भी दे दी गई थी। जिसे समझकर विक्रेता एवं गवाहो ने हस्ताक्षर किये एवं मैने भी हस्ताक्षर किये। नमूना वास्ते जॉच खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला कोटा भेजा गया। डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बून्दी के पत्रांक एफएसएसए/2022/841 दिनांक 30.12.2022 द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी
मुकदमा संख्या 34/प्रा0पत्र/2023 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम जितेन्द्र जोशी

विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला द्वारा कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 1612/पीएचएल/कोटा/एक्ट/2022/1617 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार लिया गया खाद्य नमूना संख्या **यू–2136 ,खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल (Brand-Carnival Fresh)** 500 मि.ली. मूल बोतल पैक **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया। इस प्रकार अभियुक्त द्वारा **मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का **खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल** का निर्माण एवं विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा (ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य संरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के अन्तर्गत प्रकरण प्रस्तुत किया है।

3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी के अभिभाषक उपस्थित हुये। अभिभाषक ने अवगत कराया कि निर्णय न्यायालय द्वारा सहानुभूतिपूर्वक किया जावें।
4. खाद्यय सुरक्षा अधिकारी द्वारा संलग्न दस्तावेज निम्न हैः–

क्र. स.	दस्तावेज विवरण	कुल पृष्ठ
1.	न्यायनिर्णयन आवेदन।	01–03
2.	खाद्य सुरक्षा अधिकारी का गजट नोटिफिकेशन एवं कार्य क्षैत्र नोटिफिकेशन, पदस्थापन आदेश की सत्यापित आदेश की सत्यापित फोटो प्रतिया।	04–06
3.	फार्म सं. 5–ए मूल प्रति।	07
4.	नमूना खरीद रसीद की मूल प्रति।	08
5.	फर्द रिपोर्ट मूल प्रति।	09
6.	विक्रेता/मालिक द्वारा प्रस्तुत खाद्य लाईसेंस की स्वयं प्रमाणित छायाप्रति एवं फॉर्म IX की छायाप्रति, बॉर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा जारी रिज्युलेसन की छांया प्रति एवं स्वयं के आधार कार्ड, छायाप्रतियॉ।	10–16
7.	खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला नयापुरा कोटा दिनांक 15.12.2022 खाद्य नमूना एवं फार्म न0 6 की प्रति जमा करने की प्राप्ति रसीदें।	17
8.	अभिहीत अधिकारी द्वारा नमुना के तीन भाग (ii), (iii) एवं (iv) की प्राप्त रसीद।	18
9.	अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बून्दी से प्राप्त अग्रेषण पत्र क्रमांक FSSA/2022/841 दिनांक 30.12.2022 मय खाद्य विश्लेषक द्वारा प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट नम्बर 1612/पीएचएल/कोटा/एक्ट/2022/1617 दिनांक 26.12.2022 की मूल प्रतियां व पोस्टल रजिस्ट्री रसीद की मूलप्रतियां।	19–20
10.	श्रीमान अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बून्दी इस प्रकरण से सबन्धित असल कागजात एवं छायाप्रतिया वास्ते न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत करने बाबत प्रेषित पत्र दिनांक 23.01.2023	21

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं
न्याय निर्णयन अधिकारी

	की मूल प्रति।	
11.	श्रीमान अभिहीत अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा से को खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राप्त एफएसएस/2022/44 दिनांक 24.01.2023 की मूलप्रति।	22
12.	मुल्जिम न्यायनिर्णयन आवेदन की मूल प्रति	01–03

5. हमने पत्रावली में प्रस्तुत/उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन व उभयपक्ष की बहस का मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजों से यह साबित होता है कि डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक **यू–2136** की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा से प्राप्त जॉच रिपोर्ट संख्या 1612/पीएचएल/कोटा/एक्ट/2022/1617 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार निम्न है :–

The sample to be "Fats, Oils and Fat Emulsions" falling under Regulation No. 2.2.1.6 Mustard Oil of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition for analysis and has been analysed on 19-12-2022 to 26-12-2022.

(Regulation 2.2.1.6 of the Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011, defines "Rapeseed oil (toria oil) or mustard oil (sarson ka tel)" as the oil extracted from clean and sound mustard seeds of specific Brassica varieties. This oil must be clear and free from rancidity, and is subject to the standards outlined in sub-regulation 2.2.1. . .)

Analysis Report :-
(3). Label:- Expiry Date :- Not Given

Opinion: The sample of **"Kachi Ghani Mustard Oil (Carnival Fresh)"** bearing Code No. and Sr. No. U-2136 of Designated Officer cum the Chief Medical Officer, Bundi, is **Misbranded food under section 3(1)(zf)(C)(i) fo the Food Safety &Standards Act 2006.**

[Section 3(1)(zf)(C)(i) of the Food Safety & Standards Act, 2006, defines "misbranded food" as a product that doesn't comply with the labelling regulations outlined in the Food Safety and Standards (Packaging and Labelling) Regulations, 2011. Specifically, it refers to instances where the food fails to meet the required standards for labeling, such as those detailed in Regulation 2.2.1.5 of the 2011 regulations. This means that the labeling on the food product is incorrect or incomplete, potentially leading to misrepresentation of the product's nature, substance, or quality. .]

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
एवं

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

<u>मुकदमा संख्या 34/प्रा0पत्र/2023 खाद्य सुरक्षा अधिकारी बून्दी बनाम जितेन्द्र जोशि</u>

6. खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, कोटा की रिपोर्ट में **खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल मिथ्याछाप (Misbranded)** स्तर का होना पाया गया है। इस प्रकार अप्रार्थी श्री जितेन्द्र जोशी आ0 श्री चन्द्रकान्त जोशी(विक्रेता/नोमिनी), मैसर्स– ऐडवान्टेज ऑयल प्रा0 लि0 एनएच–12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी(राज.), हाल पताः–**A101** , शिवम् एनक्लेब, बजरंग नगर, कोटा। स्थाई पताः– म0स0–122, महादेव तोतला नगर, इन्दौर द्वारा **खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल मिथ्याछाप (Misbranded)** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है।

7. हालांकि उक्त प्रकरण में प्रचलित विधिक प्रावधान निम्न प्रकार है :–
खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के उल्लंघन की दशा में **मिथ्याछाप (Misbranded)** में राशि तीन लाख रूपये सीमा तक जुर्माना/दण्ड/शास्ति आरोपित किए जाने का प्रावधान है, तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

8. अतः अप्रार्थी श्री जितेन्द्र जोशी आ0 श्री चन्द्रकान्त जोशी(विक्रेता/नोमिनी), मैसर्स– ऐडवान्टेज ऑयल प्रा0 लि0 एनएच–12 रामगंज बालाजी जिला बून्दी(राज.), हाल पताः–**A101** , शिवम् एनक्लेब, बजरंग नगर, कोटा। स्थाई पताः– म0स0–122, महादेव तोतला नगर, इन्दौर द्वारा **खाद्य पदार्थ कच्ची घाणी सरसों तेल मिथ्याछाप (Misbranded)** का विक्रय के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 के तहत जुर्माना राशि क्रमशः 30,000/– रूपये (तीस हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये डी.डी. या सम्बन्धित मद (0210–04–800–03–00) में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर निर्देशित किया जाता हैं कि अदम अनुपालना आदेश अभियुक्त के प्रतिष्ठान का मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बून्दी द्वारा अनुज्ञप्ति रद्द की जावे। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में दिनांक 02.04.2025 को सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बून्दी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी बून्दी (राज०)